



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02.12.2022

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात माफिया अजीत उर्फ हप्पू को बागपत पुलिस मोनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप जान से मारने की धमकी देने व आर्म्स एक्ट से सम्बंधित केस में माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्ष एवं 03 वर्ष के कारावास व 10000/ रुपये के अर्थदण्ड(दोनों केस में) से दण्डित किया गया ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात माफिया अजीत उर्फ हप्पू पुत्र महेन्द्र निवासी मौ० पट्टी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर पंजीकृत जान से मारने की धमकी देने से सम्बन्धित मु०अ०सं० 1254/16 धारा 506 भादवि व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित मु०अ०सं० 686/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट में बागपत पुलिस मोनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.12.2022 को मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अजीत उर्फ हप्पू उपरोक्त को दोषी करार देते हुए धारा 506 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 10000/ रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 10000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त अजीत उर्फ हप्पू के विरुद्ध जनपद बागपत में 41 मुकदमें संगीन धाराओं के जिसमें गैंगस्टर, हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने एवं आर्म्स एक्ट आदि के दर्ज है, शेष मुकदमों में भी मोनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा० न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा । बागपत पुलिस माफिया के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निरंतर प्रयासरत है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1-अजीत उर्फ हप्पू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम पट्टी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

अजीत उर्फ हप्पू का आपराधिक इतिहास-

क0सं0	थाना	जनपद	मु0अ0सं0	धारा
1	बडौत	बागपत	860 / 13	307,302,504,506,120बी भादवि
2	बडौत	बागपत	1213 / 13	307 भादवि
3	बडौत	बागपत	889 / 14	307, 506, 429 भादवि
4	बडौत	बागपत	945 / 14	147,148, 149,302,504,506 भादवि
5	बडौत	बागपत	41 / 15	174ए भादवि
6	बडौत	बागपत	321 / 15	174ए भादवि
7	बडौत	बागपत	738 / 15	147,148,149,452,302,307,506,120बी भादवि
8	बडौत	बागपत	992 / 14	506 भादवि
9	बडौत	बागपत	35 / 15	307,34 भादवि
10	बडौत	बागपत	880 / 15	2 / 3 गैंगस्टर अधिनियम
11	बडौत	बागपत	63 / 17	2 / 3 गैंगस्टर अधिनियम
12	बडौत	बागपत	1254 / 16	506 भादवि
13	बडौत	बागपत	796 / 17	386, 504 भादवि
14	बडौत	बागपत	1021 / 17	506 भादवि
15	बडौत	बागपत	1128 / 17	386, 506 भादवि
16	बडौत	बागपत	382 / 18	3 / 25 / 27 शस्त्र अधिनियम
17	बडौत	बागपत	387 / 18	3 / 25 / 27 शस्त्र अधिनियम
18	बडौत	बागपत	567 / 18	307, 120बी भादवि
19	बडौत	बागपत	587 / 19	507 भादवि
20	बडौत	बागपत	485 / 18	386, 120बी भादवि
21	बडौत	बागपत	686 / 10	25 शस्त्र अधिनियम
22	बडौत	बागपत	417 / 12	307, 504, 506 भादवि
23	बडौत	बागपत	01 / 22	2 / 3 गैंगस्टर अधिनियम
24	बडौत	बागपत	1244 / 19	302, 120बी भादवि
25	छपरौली	बागपत	369 / 15	174ए भादवि थाना छपरौली
26	छपरौली	बागपत	217 / 15	147, 148, 149, 302 भादवि
27	छपरौली	बागपत	131 / 18	25 / 27 शस्त्र अधिनियम
28	दोघट	बागपत	102 / 15	302 भादवि
29	दोघट	बागपत	294 / 15	174ए भादवि
30	दोघट	बागपत	289 / 14	147,148,149,307,302,120बी भादवि
31	दोघट	बागपत	76 / 18	147, 148, 149, 307 भादवि
32	दोघट	बागपत	236 / 18	25 / 27 शस्त्र अधिनियम
33	दोघट	बागपत	237 / 18	25 / 27 शस्त्र अधिनियम
34	बडौत	बागपत	1113 / 16	3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम

35	बडौत	बागपत	675 / 12	3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम
36	बडौत	बागपत	115 / 09	323, 504 भादवि
37	बडौत	बागपत	125 / 09	323, 504 भादवि
38	बडौत	बागपत	603 / 2000	147, 148, 149, 302, 307 भादवि
39	बडौत	बागपत	671 / 2000	25 / 27 शस्त्र अधिनियम
40	बडौत	बागपत	1086ए / 11	307, 504, 506 भादवि
41	बडौत	बागपत	880 / 13	307, 302, 504, 120बी भादवि



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 02.12.2022

दहेज हत्या के आरोपियों रामबीर, मीना, प्रवेश, सोनिया, अरुण व प्रवीण को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.रामबीर पुत्र जगराम, 2.प्रवीण पुत्र रामबीर, 3. प्रवेश पुत्र रामबीर, 4.अरुण पुत्र रामबीर, 5.सोनिया पत्नी प्रवेश व 6.मीना पत्नी टीटू निवासीगण ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत दहेज हत्या से सम्बन्धित मु0अ0सं0- 82/2017 धारा 498ए/506/304बी/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बागपत पुलिस मोनिसरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.12.2022 को मा0 न्यायालय जिला जज बागपत द्वारा अभियुक्तों रामबीर, मीना, प्रवेश, सोनिया, अरुण, व प्रवीण को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवी में प्रत्येक को

आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्तों रामबीर, प्रवेश, सोनिया अरुण व प्रवीण को धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा अभियुक्तों रामबीर, प्रवेश, सोनिया, अरुण व प्रवीण को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-रामबीर पुत्र जगराम निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-प्रवीण पुत्र रामबीर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-प्रवेश पुत्र रामबीर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-अरुण पुत्र रामबीर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-सोनिया पत्नी प्रवेश निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-मीना पत्नी टीटू निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 595/22 धारा 363/376/511/354बी/328 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 595/22 धारा 363/376/511/354बी/328 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 16-06-2022 को बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहरूख पुत्र हनीफ निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-आमिर पुत्र जाहिर निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मुधरश्याम थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 192 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02.12.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1127/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित एक बालअपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व घटना में प्रयुक्त एक रिक्शा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री अजय पुत्र दिनेश कुमार निवासी आर्य नगर कस्बा व थाना बडौत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जमाल पुत्र फहीम, 2.अनीस निवासीगण पठानकोट कस्बा व थाना बडौत व एक बालअपचारी ने उसकी फैक्ट्री से 03 लोहे की अहरन, 02 भट्टी के पंखे, एक वैल्डिंग मशीन, हथौडे, बसौली, 04 कटटे कोयला चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1127/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1106/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित एक बालअपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किया हुआ सामान व घटना में प्रयुक्त एक

रिक्शा बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जमाल पुत्र रहीसुदीन निवासी पठानकोट करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2-एक बालअपचारी।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए भट्टी के 02 पंखे।
- चोरी की हुई एक वैल्डिंग मशीन।
- चोरी की हुई लोहे की 04 अहरन।
- चोरी किया हुआ लोहे का स्क्रेप का सामान।
- चोरी किये हुए लोहे के 45 हथौडे के नग।
- चोरी की हुई एक लकड़ी की पेटी (बक्शा) जिसमे लोहे के उपकरण बनाने के औजार तथा एक हैंड ग्लैन्डर भरा है।
- चोरी किये हुए कोयले के 04 कटटे।

(सम्बन्धित मु0अ0सं0 1106/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत)

- घटना में प्रयुक्त एक रिक्शा तीन पहिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बडौत।

2-का0 989 ललित कुमार।

3-का0 970 रोहित अत्री।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02.12.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1126/22 धारा 379/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो०सा० बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.22 को थाना बडौत पर वादी श्री अनिकेत पुत्र सन्दीप निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.11.2022 को उसकी मो०सा० स्प्लेंडर नं० UP-17-P-9663 को वृद्धा ज्योति फार्म हाउस के सामने से किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 1126/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 1126/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो०सा० बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विजय कुमार पुत्र चमनलाल निवासी न्यूरामनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक मोसा रफ्लेंडर नं० UP-17-P-9663 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 1126/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री जगवीर सिंह थाना बडौत ।

2-का० 1043 सुनील कुमार ।

3-एचजी 279 श्रीपाल ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 02.12.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है



एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सुमित पुत्र राजू निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली ।

2-का0953 अंकुल थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 02.12.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभि० का नाम व पता:-

1-किशन पुत्र जमुना प्रसाद निवासी संजयनगर सिविल लाईन जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री दिनेश कुमार ।
2. है०का० 290 सैन्सरपाल सिंह ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 02.12.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/2022 धारा 366/376/342/506 भादवि व 2/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 267/2022 धारा 366/376/342/506 भादवि व 2/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना रमाला पुलिस द्वारा पूर्व में बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राकेश पुत्र राजबीर निवासी राकसेडा थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 1- उ0नि0 श्री अमरदीप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- का0 1104 चक्रपाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोनू पुत्र बाजा निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-का० 479 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत।
- 3- का० 192 अनिल नागर कोतवाली बागपत।